संसाधन पुस्तिका

aadi

आदि द्वारा विकसित

सौजन्य से

THE hans FOUNDATION

प्रस्तावना

इस संसाधन पुस्तिका के माध्यम से बल्लभगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण वासियों , विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पुस्तिका में कुछ ही मुख्य क्षेत्रों व विभागों से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई है तथा यह अगस्त व सितम्बर माह 2016 में एकत्रित जानकारियों के आधार पर बनी है । अतः समय के साथ कुछ जानकारी आगे परिवर्तित होगी तथा कुछ नई जानकारी व विभाग इस पुस्तिका में जुड़ते चले जायेंगे ।

आशा है इस पुस्तिका के अन्दर एकत्रित की हुई जानकारी से समुदाय के लोगों को लाभ पहुँचेगा ।

जीविका

1.जीविका

समाज में जीविका कमाने के बहुत सारे साधन हैं जिनमें कृषि ,पशुपालन ,नौकरी–निजी व सरकारी ,मजदूरी, रोजगार व स्व–रोजगार, व्यापार आदि शामिल हैं। जीविका के द्वारा व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताऍं पूरी करता है । जिला फरीदाबाद में अधिकतर लोग कृषि व उससे जुड़े कार्य करते हैं जिसमें पशुपालन, डेयरी, मजदूरी व कृषि उत्पादों का विपणन मुख्य है , कुछ लोग स्व–रोजगार भी करते हैं जिससे वो स्वयं तथा अन्य लोगो को जीविका प्रदान करते हैं । संगठित क्षेत्रो में कार्य करने वाले लोगों के अधिकारो, कल्याण व सुविधाओं के लिए श्रम विभाग कार्य करता है, जिसके साथ रोजगार विभाग भी जुड़ा हुआ है, जो संगठित क्षेत्रों में लोगो को रोजगार दिलाने में मदद करता है तथा शिक्षित बेरोजगार लोगो को पंजीकृत करके उन्हें नौकरी सम्बन्धित रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध करवाता है, इसके लिए संगठित क्षेत्रों के संस्थानो की सूची तैयार करके उनसे निरंतर सम्पर्क में रहता है।

1.1 श्रम विभाग

गाँव व शहरी क्षेत्र में स्थित पंजीकृत संस्थान व औद्योगिक संस्थान ,जो श्रम विभाग के कानून व शर्तो को मानते हैं ,उनमें काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण व सुविधाओं व समस्याओं के समाधान के लिए श्रम–कल्याण बोर्ड, श्रम–आयुक्त , श्रम–अधिकारी, श्रम–कल्याण अधिकारी को सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। जिनको फरीदाबाद जिले में सर्कल के अनुसार विभाजित किया गया है तथा श्रमिक को अपने कार्यस्थल से सम्बन्धित सर्कल में जाकर ही जानकारी प्राप्त करनी होती है अथवा सुझाव व शिकायत दर्ज करानी होती है।

वेतन विसंगति सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए सीधे उप–श्रम आयुक्त से मिल सकते हैं, जिसमें केवल श्रम कानून के अन्तर्गत् पंजीकृत व्यक्तियों/फर्म ठेकेदार, संस्थान व औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के विवादों की ही सुनवाई होती है और उनका वेतन 15000 रुपए से अधिक ना हो।
उप–श्रम आयुक्त के कार्यालय का पता निम्नलिखित है :

उप–श्रम आयुक्त,
उप–श्रम आयुक्त कार्यालय,
पुराना अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय,
सैक्टर–15 ए, फरीदाबाद,
फोन न.–0129–2268387

प्रक्रिया

श्रमिक अपने समस्या को एक पेपर पर लिखकर तथा साक्ष्यों को (यदि कोई है तो) को साथ लगाकर सीधे उप–श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा करवा सकता है। उप श्रम–आयुक्त उन सभी तथ्यों की जॉच के लिए सम्बन्धित सर्कल में भेजेंगे तथा व्यक्ति को भी सूचित करके कार्यवाही की जानकारी देगें।

नोटः उप–श्रम आयुक्त से जन सूचना कानून के तहत् भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
श्रम कानूनों के पालन व श्रमिकों को अधिक सुविधाएँ प्रदान करने, सशक्त बनाने व शोषण को रोकने के लिए फरीदाबाद जिले को 5 सर्कलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक में सहायक श्रम–आयुक्त व श्रम–अधिकारी व कार्यालयों की स्थापना सरकार के द्वारा की गई है। इन कार्यालयों के पते निम्नलिखित हैं।

सर्कल– I फरीदाबाद

सहायक श्रम–आयुक्त (सर्कल–I),
सहायक श्रम–आयुक्त कार्यालय,
नीलम –बाटा रोड, फरीदाबाद,
फोन न.–0129–2410180

इनका अधिकार कार्यक्षेत्र है– मथुरा रोड की पश्चिमी तरफ, दिल्ली बॉर्डर से नीलम पुल, नीलम पुल से केनमोर विकास फैक्ट्री जिसमें 2, 3, 4, 5 एन.आई.टी. और सैक्टर-49 तथा पाली खनन क्षेत्र, फरीदाबाद शामिल है।

सर्कल–II फरीदाबाद

सहायक श्रम–आयुक्त (सर्कल–**II)**,
सहायक श्रम–आयुक्त कार्यालय,
पुराना अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय,
सैक्टर–15 ए**,** फरीदाबाद,
फोन–0129–2269660

इनका अधिकार क्षेत्र है– सैक्टर–24**,** पुराना औद्योगिक क्षेत्र, एन.आई.टी.
और एन.आई.टी. –1**,** डबुआ कॉलोनी क्षेत्र से गाँव भारवरी, नवादा प्रेम कॉलोनी और मुजेसर औद्योगिक क्षेत्र।

सर्कल– III फरीदाबाद

सहायक श्रम–आयुक्त (सर्कल– **III**),
सहायक श्रम–आयुक्त कार्यालय,
पुराना अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय,
सैक्टर–15 ए**,** फरीदाबाद,
फोन न. 0129–2292166

इनका अधिकार क्षेत्र है–शहरी फरीदाबाद सैक्टर–5, 6, 22, 23, 25, 55, 56, कृष्णा कॉलोनी, संजय कॉलोनी, सोहना रोड की दोनों तरफ गौछी से सोहना सीमा तक, बल्लभगढ़ क्षेत्र, सैक्टर–3**,** तिगाँव क्षेत्र तथा रेलवे 15 लाईन व मथुरा रोड के बीच मुजेसर से बल्लभगढ़ पुल तक, पश्चिमी तरफ मथुरा रोड के बल्लभगढ़ से पलवल सीमा तक और सर्कल V से बचा हुआ क्षेत्र।

सर्कल – IV फरीदाबाद

सहायक श्रम–आयुक्त (सर्कल– **IV)**,
सहायक श्रम–आयुक्त कार्यालय,
पुराना अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय,
सैक्टर–15 ए**,** फरीदाबाद,
फोन न. 0129–2265545

इनका अधिकार क्षेत्र है –यमुना नदी व मथुरा रोड के बीच का क्षेत्र जो कि दिल्ली सीमा से वाई.एम.सी.ए. चौक तक जो सैक्टर–11 व सैक्टर–7 को बाँटता है और वह क्षेत्र जो किसी श्रम अधिकारी के क्षेत्र में नही आता है ।

सर्कल –V फरीदाबाद

सहायक श्रम–आयुक्त, (सर्कल– **V)**
सहायक श्रम–आयुक्त कार्यालय,
ए/2/20, निजी घर,
सैक्टर–11 ए, फरीदाबाद,
फोन न.–0129–2220592

इनका अधिकार क्षेत्र है –शहरी क्षेत्र, फरीदाबाद सैक्टर–4, 58, 59, बल्लभगढ़ उप –क्षेत्र का मथुरा रोड के पूर्वी तरफ से रेलवे पुल बल्लभगढ़ से पलवल सीमा तक, पलवल व होडल क्षेत्र का वो क्षेत्र जो फरीदाबाद के तहत् आता है तथा मोहबताबाद पत्थर खनन क्षेत्र ।

इसके अतिरिक्त श्रम निरीक्षक भी हैं जो कि सम्बन्धित सर्कल कार्यालयों में तैनात हैं तथा वे भी समय–समय पर पंजीकृत संस्थानो/इकाइयों का निरीक्षण करते हैं और अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित करते हैं। इनकी जानकारी भी पाँचो सहायक श्रम–आयुक्त कार्यालय से मिल सकती है तथा इन्हें भी अपनी बात कह सकते हैं।
यदि यहाँ जिला स्तर से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तब राज्य स्तर के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिसका पता है :

श्रम आयुक्त,
30–बेज बिल्डिंग,
प्रथम तल, सैक्टर**-17**
चंडीगढ़
दूरभाष –0172–2701373
email-labourcommissioner@hry.nic.in

श्रमिकों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ पहुँचाने व उनके सशक्तीकरण के लिए श्रम विभाग के द्वारा हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है जिसके कार्यालय का पता निम्नलिखित है तथा इसी पते पर कल्याण अधिकारी (महिला) का भी कार्यालय है जो कि महिलाओं के सशक्तीकरण , शोषण रोकने व प्रशिक्षण का कार्य देखती हैं।

श्रम कल्याण अधिकारी,
श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय व महिला प्रशिक्षण केन्द्र,
पुलिस चौकी रोड, डबुआ कॉलोनी,
फरीदाबाद,
फोन न.–0129–2480277

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएँ हैं तथा उनका लाभ लेने कि पात्रता निम्नलिखित है : श्रमिक (महिला/पुरुष) श्रम कानून के तहत् पंजीकृत संस्था/संस्थान औद्योगिक इकाई ठेकेदार के तहत काम करता हो तथा उसका वेतन 20,000 रुपए मासिक से अधिक ना हो और उसने न्यूनतम छः माह काम किया हो। सेवावधि तथा समयावधि योजनाओं के अनुसार अलग–अलग है तथा वित्तीय सहायता राशि भी भिन्न है ।

योजना क्या है ?

क्रम सं.	योजना का नाम	निर्धारित सेवावृद्धि	वेतन मासिक	वित्तीय सहायता
1	श्रमिकों की लड़कियों तथा श्रमिक	5 वर्ष	20000 रूपये	51000 रूपये

	महिला की स्वयं की शादी के लिए कन्यादान योजना			
2	साइकिल खरीद योजना	2 वर्ष	10000 रूपये	3000 रूपये केवल एक बार
3	सिलाई मशीन (महिला श्रमिक के लिए)	2 वर्ष	10000 रूपये	3500 रूपये केवल एक बार
4	श्रमिकों को एल.टी.सी. की छात्रावृत्ति सुविधा	5 वर्ष	10000 रूपये	1000 रूपये 5 वर्ष में एक बार
5	बच्चों को सुविधा योजना	5 वर्ष	20000 रूपये	4000–15000 रूपये तक
6	श्रमिकों की लड़कियों की पढ़ाई (कक्षा 1–8 वीं) तक के लिए	2 वर्ष	20000 रूपये	कक्षा 1–4 तक 2000 रूपये प्रतिवर्ष तथा कक्षा 5–8 तक 3000 रूपये प्रतिवर्ष
7	महिला श्रमिक/पत्नी प्रसूति पर (तीन लड़कियों तक)	1 वर्ष	20000 रूपये	7000 रूपये
8	विकलांगता होने पर (कार्यस्थल)	कोई भी सेवावधि निर्धारित नही है	20000 रूपये	50% तक की विकलांगता होने पर 20000 रूपये, 70% तक की विकलांगता होने पर 30000 रूपये
9	श्रमिक/आश्रित के दाँत देखभाल के लिए	1 वर्ष	20000 रूपये	देखभाल–2000 रूपये, जबड़ा–5000 रूपये
10	मृतक श्रमिक की विधवा/आश्रित को आर्थिक मदद	6 मास	20000 रूपये	100000 रूपये
11	श्रमिक के दाह संस्कार हेतु आर्थिक मदद	6 मास	20000 रूपये	15000 रूपये
12	श्रमिकों के बच्चों के खेल प्रतिभा विकास के लिए	कोई नही	20000 रूपये	1000–10400 रूपये
13	श्रमिकों के बच्चो में सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा विकास के लिए	कोई नही	20000 रूपये	1000–10400 रूपये
14	चश्में के लिए	1 वर्ष	20000 रूपये	1000 रूपये
15	विकलांग श्रमिक व आश्रितो को कृत्रिम अगों हेतु	1 वर्ष	20000 रूपये	साकेत, अस्पताल पंचकूला के दरों के अनुसार
16	श्रमिकों व उनके आश्रितो को श्रवण मशीन हेतु	1 वर्ष	20000 रूपये	3000 रूपये
17	विकलांग श्रमिकों तथा आश्रितो को तिपहिया साइकल हेतु	1 वर्ष	20000 रूपये	5000 रूपये
18	मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार योजना	3 वर्ष	20000 रूपये	20000–100000 रूपये
19	श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना हेतु	कोई सेवावधि नही	कोई नही	श्रमिकों की लड़कियों व महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु

20	श्रमिकों के शारीरिक विकलांगता, अन्ध विकलांगता व मंदबुद्धि विकलांगता वाले बच्चों को वित्तीय सहायता	कोई सेवावधि नही	कोई नही	70–90% विकलांगता पर 15000 रूपये प्रतिवर्ष व 90–100% विकलांगता पर 20000 रूपये प्रतिवर्ष तथा श्रवण विकलांग को नही
21	श्रमिकों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन करवाने हेतु	कोई सेवावधि नही	कोई नहीं	इनाम व ट्राफी
22	मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	कोई सेवावधि नही	कोई नही	मृत्यु–500000 रूपये विकलांग–50000–100000 रूपये

प्रक्रिया

इन योजनाओ को लेने के लिए एक फॉर्म भरना होता है जो कि श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय व महिला प्रशिक्षण केन्द्र पुलिस चौकी रोड, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद फोन न.: 0129–2480277 से मिलेगा तथा फॉर्म को पूर्णतयः भर कर व दो फोटो व पंजीकृत संस्थान के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, वेतन पर्ची जिस पर रोजगार से जुड़ने की तिथि हो व पंजीकरण संख्या दर्ज हो ,पहचान के साक्ष्य प्रमाण व जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसके साक्ष्य प्रमाण जैसे–विकलांगता प्रमाण पत्र स्वयं व आश्रित का ,मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सक का पर्चा आदि वास्तविक व छायाप्रति दोनो को लेकर जहॉ से फॉर्म लिया था, वहीं किसी भी कार्यदिवस में जमा करवाना होगा। श्रम अधिकारी के द्वारा सभी तथ्यों की जॉच करने व हर प्रकार से संतुष्ट हो जाने के बाद फोन के द्वारा की गई कार्यावाही की जानकारी व्यक्ति को दी जाती है अथवा व्यक्ति स्वयं भी इस कार्यालय में जाकर जाकारी प्राप्त कर सकता है।

इन योजनाओं से सम्बन्धित किसी भी जानकारी, सुझाव व शिकायत के लिए हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के राज्य स्तर के कार्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं। सूचना अधिकार के तहत् भी यही से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यालय का पता है :

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,
श्रम कल्याण भवन,
बेज न.–29–30, पाकेट–2,
सैक्टर–4, पंचकूला, हरियाणा
दूरभाष–0172–2560226
email-hlwb51hry@gmail.com

नोटः– जो भी लिखित कार्यवाही कर रहे हैं उसकी छाया प्रति अपने पास रखे तथा जो साक्ष्य प्रमाण संलग्न कर रहे है उसकी केवल छाया प्रति ही साथ लगायें। यदि डाक द्वारा पत्र या जन सूचना अधिकार पत्र भेज रहे हैं तो वास्तविक अपने पास रखें। यदि सीधे सम्बन्धित अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा रहे हैं, तो पत्र/जन सूचना पत्र व दस्तावेजों की प्रतिलिपि पर प्राप्ति अवश्य लें या पक्की प्राप्ति रसीद लें । अगले पत्र (यदि संतुष्टि नही होती है) के साथ पहले पत्र व दस्तावेजों को लगायें व सभी कि छाया प्रति सम्भाल कर रखें।

1.2 रोजगार विभाग, हरियाणा

हरियाणा सरकार के द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों/युवको–युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार कार्यालय खोले गये हैं। जहाँ से व्यक्तियों/अभ्यार्थियों को उनकी क्षमता/कौशल/पढ़ाई के अनुसार रोजगार उपलब्धता की जानकारी प्रदान की जाती है। जिसमें विकलांग व्यक्ति के रोजगार के लिए भी कार्य होता है।
ब्लॉक स्तर के कार्यालय का पता है :

हरियाणा सरकार रोजगार कार्यालय,
कमरा न. 33, प्रथम तल,
पंचायत भवन, बल्लभगढ़,
फरीदाबाद
फोन न.–0129–2240032

बेरोजगारी भत्ता

योजना क्या है ?

12 वीं तथा उससे अधिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवक/युवती जिसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं, को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इसके लिए शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवक/युवती जिसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं का नाम रोजगार कार्यालय में न्यूनतम तीन वर्ष पहले पंजीकृत हों। 12 वीं पास युवक को 500 रूपए तथा युवती को 900 रूपए विज्ञान के साथ 12 वीं पास युवक को 750 रूपए प्रंति महीना तथा युवती को 900 रूपए मिलते हैं । स्नातक युवक को 750 रूपए व युवती को 1500 रूपए व विज्ञान के साथ स्नातक युवक को 1000 रूपए प्रंति महीना मिलते हैं व स्नातकोत्तर के लिए यह राशि समान है। विकलांगों को भी समान बेरोजगारी भत्ता मिलता है ।

प्रक्रिया

रोजगार पंजीकरण की सुविधा आन लाईन उपलब्ध है जिसका पता है : www.hrex.org
सर्वप्रथम ऑन लाईन ही पंजीकरण करवाना होता है उसके बाद ब्लॉक स्तर कार्यालय में उसकी प्रति जमा करवानी होती है। ऑन लाईन फार्म जमा करने से पहले कृपया कुछ बातों का ध्यान रखे वो है :

- सभी दस्तावेज जैसे सभी प्रकार की अंक तालिकाऍं , प्रमाण पत्र जो भी हैं अपने पास रखें
- स्कैेन किया हुए पासपोर्ट आकार का फोटो व सभी दस्तावेज
- मान्य ई–मेल पता
- पासवर्ड को लिखें
- अंतिम जमा कराने से पहले प्रिव्यू (Preview) जरूर देखें
- प्रिंट बटन दबा कर प्रोविजनल पहचान पत्र लें
- अपनी सभी दस्तावेजों तथा प्रोविजनल पहचान पत्र कि छाया प्रति 15 दिनों कें अंदर स्थानीय रोजगार कार्यालय में जमा करवायें।

विकलांग व्यक्ति के आवेदन के लिए

- आयु 18 वर्ष व उससे अधिक
- 40 % का विकलांगता प्रमाण पत्र
- 10 + 2, 10 वीं पढ़ाई
- राशन कार्ड
- ऑन लाईन आवेदन कि प्रति

यदि ब्लॉक स्तर के कार्यालय से मिली जानकारी से संतुष्ट नही हैं तब जिला स्तर के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं जिसका पता है :

जिला रोजगार कार्यालय,
कमरा न. 508–509,
पाँचवा–तल, लघु सचिवालय,
सैक्टर–12 कोर्ट, फरीदाबाद
फोन न.–0129–4074029, 2299958, 9540024691
email-employmentfaridabad@yahoo.com
faridabad88@yahoo.com

नोटः– यहाँ से जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए जन सूचना अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय व पता तथा 10 रूपए का पोस्टल ऑर्डर, जन सूचना, अधिकारी के पक्ष में देय लगाकार प्राप्त कर सकते हैं। यदि सीधे कोई पत्र/दस्तावेज जमा करते हैं तो दस्तावेजों व पत्रो की छायाप्रति पर प्राप्ति की मोहर व हस्ताक्षर अवश्य लें।

यदि जिला स्तर से मिली जानकारी से संतुष्टि नही मिलती है तो राज्य स्तर के रोजगार विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या शिकायत/सुझाव भेज सकते हैं, जिसका पता है :

रोजगार निदेशक,
रोजगार निदेशालय,
प्रयत्न भवन, बेज–55–58,
सैक्टर–2, पंचकूला, हरियाणा
फोन न.–0172–2570064
email-dteemphry@yahoo.com

यहाँ से भी आप जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए पहले पत्र कि छाया प्रति संलग्न करें, 10 रूपए का पोस्टल ऑर्डर जो जन सूचना, अधिकारी के पक्ष में देय हो को लगाकार प्राप्त कर सकते हैं । यदि सीधे कोई पत्र/दस्तावेज जमा करते हैं तो दस्तावेजो व पत्रो कि छायाप्रति पर प्राप्ति कि मोहर व हस्ताक्षर आवश्यक लें।

1.3 कृषि विभाग

कृषि विभाग, हरियाणा ने कृषि विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाऐं एवं सुविधायें कृषकों/किसानों को प्रदान करने के लिए कृषि अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, जो कि ब्लॉक, जिले तथा राज्य स्तर पर तैनात हैं। ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास अधिकारी, कृषि के क्षेत्र में होने वाले नए अनुसन्धानों, बीज, तरीके, नई योजनाएँ/सुविधाओं की जानकारी ब्लॉक के किसानों को उपलब्ध कराते हैं। बल्लभगढ़ ब्लॉक के किसान, कृषि सम्बन्धित किसी भी योजना व सुविधाओं की जानकारी के लिए कृषि विकास अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं जिनका पता है :

कृषि विकास अधिकारी ,
प्रथम तल, पंचायत भवन ,
बल्लभगढ़ ,फरीदाबाद
फोन न.– 999039011

यदि ब्लॉक स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है या और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो कृषि विभाग के जिलास्तर के कार्यालय से सर्म्पक करना होगा जिसका पता निम्नलिखित है :

उप निदेशक (कृषि½ ,
उप निदेशक कृषि कार्यालय,
कमरा न.– 604 , छठी मंजिल,
लघु सचिवालय, सैक्टर–12 कोर्ट,
फरीदाबाद
फोन न.–0129–2288024

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी उपरोक्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें जन सूचना अधिकारी, उप निदेशक (कृषि) कार्यालय को 10 रूपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र भेजना होता है। यदि जिला स्तर के द्वारा भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो राज्य स्तर के कृषि कार्यालय से सम्पर्क करना होगा और अपनी समस्या या सुझाव बताने होंगे । जिला स्तर कार्यालय से मिली जानकारी से आप यदि संतुष्ट नही हैं, तो जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् भी राज्य स्तर के कृषि कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । राज्य स्तर के कार्यालय का पता है :

कृषि महानिदेशक,
कृषि महानिदेशालय हरियाणा,
कृषि भवन, सैक्टर–21 ,
पंचकूला–134112
फोन न.–0172–2563004, 2570662

email- agriharyana 2009@gmail.com

कृषि विभाग के द्वारा कृषि विकास के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं वो हैं :

1.3 अ फसल उत्पादन एवं पौध संस्करण योजना

योजना क्या है ?

इस योजना का उद्देश्य तिलहन व दलहन फसलों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार /बढ़ोतरी करना है । जो राज्य के किसानों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये आवश्यक है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस स्कीम के अन्तर्गत् प्रजनक बीजों की खरीद, प्रमाणित बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के वितरण, ब्लॉक प्रदर्शन प्लांटस, अन्तः फसल प्रदर्शन प्लांटस, समन्वित कीट प्रबन्ध प्रदर्शन प्लांटस के आयोजन , जिप्सम, जैव उर्वरक, जैव एजेंट, पौधा सरंक्षण संयत्रों, स्प्रिन्कलर सैट्स, पानी संवाहक पाईप तथा उन्नत कृषि यंत्रों के वितरण, कृषक प्रशिक्षण शिविरों तथा किसान प्रक्षेत्र विद्यालयों के आयोजन आदि कॅम्पोनैन्ट का क्रियान्वयन भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरुप निर्धारित अनुदान दरों पर किया जा रहा है ।

1.3 ब कृषि अभियंत्रण एवं सेवाएं

क्या है ?

उच्च तकनीक वाली ड्रिलिंग मशीनों की सहायता से उच्च क्षमता वाले नलकूप लगाने में कृषकों की सहायता करना ताकि सुनिश्चित सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो सकें। कृषि पद्धतियों में उर्जा के संरक्षण की विविध तकनीकों के बारे में कृषकों को शिक्षित करने के लिए साधारण भाषा में साहित्य का मुद्रण करना । हरियाणा भूमि विकास बैंक को ट्रैक्टरों, विभिन्न कृषि मशीनों और पम्पिंग सैट सहित यन्त्रों के लिए कृषकों को ऋण प्रदान करने और ऋण सम्बन्धित स्कीम की जानकारी के बारे में परामर्श प्रदान करना । वायु यन्त्रों द्वारा नलकूपों का विकास करना । रॉक ड्रिलिंग मशीन द्वारा पथरीली ज़मीन में नलकूप लगाने की सुविधा प्रदान करना । Åर्जा संसाधनों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं (प्रोजैक्टस) का प्रचार करना । विकलांग कृषक भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

1.3 स कृषि विस्तार सेवा योजना

योजना क्या है ?

किसानों में तकनीकी सिफारिशों के प्रसारण हेतु कृषि विस्तार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं । इसके बिना किसानों द्वारा अपनाई गई नवीनतम तकनीक सिफारिशों के वांच्छित परिणाम प्राप्त नही किए जा सकते हैं तथा नई तकनीकों की खोज तथा इन तकनीकों के उपयोग के बीच दूरी रह जाती हैं । चूँकि परिवर्तित कृषि परिदृश्य के फलस्वरूप विस्तार कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता का बढ़ावा अति आवश्यक हो चुका है इसलिये उन्हें प्रशिक्षित करके प्रोत्साहित करना है।

1.3 द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

योजना क्या है ?

इस योजना में फसल बीमा किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा मे हुई क्षति का मुआवजा मिल सके। इसका प्रीमियम बहुत कम है ।

1.4 गन्ना विकास योजना

योजना क्या है ?

- राज्य में इच्छानुसार गन्ने का क्षेत्र पैदावार, उत्पादन व चीनी की रिकवरी बढ़ानें की प्राप्ति
- राज्य में गन्ना उत्पादकों की आय बढ़ाने व गन्ने की स्थिति को कायम रखना
- चीनी मिलों, अनुसंधान केन्द्रो तथा अन्य संस्थाओ के बीच सूचना तथा सामग्री के आदान–प्रदान हेतू समन्वय बढ़ाना
- गन्ना उत्पादको तक सूचना/ तकनीकियाँ पहुँचाना
- क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर गन्ना उत्पादको को प्रशिक्षण प्रदान करना
- गन्ने की किस्मो का किस्म–सन्तुलन बनाए रखने के लिए

<u>अनुदान</u>

1. <u>रिंग पिट तकनीक</u>

गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गन्ना उगाने वाले किसानों के खेतों पर रिंग पिट तकनीक से गन्ने की खेती करने के प्रदर्शन प्लाटों का आयोजन किया जाएगा । इसके लिए गन्ना उत्पादकों को 4000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जायेगी । विकलांग कृषक भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

2. वाईड रो तकनीक

गन्ना उगाने वाले किसानों को वाईड रो स्पेसिंग विधि से गन्ना बिजाई करने के बाद 2000 रूपए प्रति एकड़ की दर से मशीन किराए पर लेने व खाद आदि खरीदने के लिए सहायता राशि दी जायेगी। विकलांग कृषक भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

3. मल्टीपल रेटूनिंग

गन्ने की मोढ़ी फसल की लाभकारी तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से स्टबल सेविंग, गैप फिलिंग, उचित जगह खाद डालने आदि हेतु सहायता दी जाएगी। यह राशि किसानों को कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन उपरान्त चैक के रूप में दी जायेगी । प्रत्येक किसान को एक एकड़ तक ही सहायता राशि दी जायेगी। विकलांग कृषक को भी इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

4. <u>मल्चिंग</u>

गन्ने की मोढ़ी फसल में पर्याप्त नमी बनाए रखने में, खरपतवार न उगने पाए तथा भूमि में मौजूद पोशक तत्व नष्ट न होने पाए, इसके लिए यह योजना है। विकलांग कृषक को भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

5. आई0एन0एम0

गन्ने की खेती में कार्बनिक खादों के कम प्रयोग, तीन–चार मोढ़ी फसल लेना तथा निरन्तर सघन खेती करने से भूमि में पोषक तत्वों की निरन्तर कमी होती जा रही है । इसके लिए यह योजना है। विकलांग कृषक को भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

6. फार्म इम्पलीमैंटस

गन्ना उगाने वाले किसानों को 800 रूपये प्रति पम्प या 50 प्रतिशत जो कम हो अनुदान पर मानव चालित स्प्रे–पम्प तथा डस्टर्स उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। विकलांग कृषक भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

7. प्रशिक्षण

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण –गन्ना विकास कार्य में कार्यरत कृषि विभाग व चीनी मिल में कार्यरत स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए 25000 रुपए प्रति प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी । यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा व 50 प्रशिक्षणार्थी होगें ।

गांव स्तरीय प्रशिक्षण –गांव स्तरीय प्रशिक्षण करने के लिए प्रति प्रशिखण 3000/– रु0 दिया जाएगा ।

8. सिंगल बड तकनीक

सिंगल बड तकनीक को बढावा देने रु0 2000 सहायता राशि का प्रस्ताव है ।

1.5 भूमि संरक्षण

राज्य को अम्बाला, करनाल, रोहतक, भिवानी तथा गुड़गॉव मण्डलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक मण्डल में मण्डल भूमि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई है । प्रत्येक मण्डल में सामान्यतयः चार उप– मण्डल हैं ,जिनका कार्यभार सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को सौंपा गया है। कृषि विकास अधिकारी (भूमि संरक्षण) आधार कार्यकर्ता हैं जो कि विभिन्न भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यो/कार्यक्रमों को करने के लिये उत्तरदायी हैं ।

क्या है ?

बहु उद्‌देशीय समेकित सिफारिश के द्वारा भूमि कटाव को रोकना। जलागम में भूमि की क्षमता एवं नमी सरंक्षण को बढ़ाना देना ऊपरी सतह पर बहाव कम करना । भूमि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं इन्हें योजनाबद्ध ढ़ग से करने की भावना को बढ़ावा देना । कृषि जल प्रबंधन में सुधार करना । जल प्रयोग की कार्य कुशलता में वृद्धि करना । भूमि एवं वर्षा के जल का

वैज्ञानिक विधि से प्रबन्ध करके प्राकृतिक संतुलन बनाये रखना । क्षारीय प्रभावित भूमि का सुधार करना । भूमि संरक्षण उपाय जिनमें गली कन्ट्रोल, चैक बॉध का निर्माण, जल भण्डारण तालाब (डाईवर्सन चैनल), जल संरक्षण ढ़ाचा एवं वानस्पतिक उपाय आदि सम्मलित हैं को अपनाकर भूमि संरक्षण में सुधार करना ।

भूमि संरक्षण उपाय : वानस्पतिक उपाय– खुली मृदा को वानस्पतिक कवच प्रदान करने से मृदा को जल कटाव से रोकथाम में सहायता मिलती है । कृषि वाणिकी –जल कटाव को रोकने के अलावा इससे स्थानीय समुदाय की आवश्यकता पूरी करने में सहायता मिलती है । जल ग्रहण ढ़ॉचा – इन ढ़ॉचों द्वारा वर्षा के पानी को संग्रहित किया जाता है जिससे भू–जल स्तर के उठान में सहायता मिलती है । संग्रहित जल से रबी फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई देने में भी सहायता मिलती है । गली प्लगिंग, चैकडैम, क्रेट वायर स्ट्रक्चर, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, अर्दन स्ट्रक्चर, परकोलेशन एम्बैंकमैंट और तालाब–इन उपायों से भूमि के खराबा रोकने में, भू–कटाव, तट का उपचार, बहाव में कमी, भू–जल का पुन– विकास, नमी संरक्षण इत्यादि में सहायता मिलती है । भूमि सुधार –इन उपायों से भूमि को खराब होने से रोकने में, भू–कटाव, तट का उपचार, बहाव में कमी, भू–जल का पुन– विकास, नमी संरक्षण इत्यादि में सहायता मिलती है ।

1.6 जल प्रबन्धन

हरियाणा में क्षारीय भूमि (ऊसर) के सुधार की योजना

मैक्रो मनेजमैंट मोड (एमएमएम) के अन्तर्गत यह एक शत–प्रतिशत केन्द्रीय संचालित येाजना है । किसानों को जिप्सम पर 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है । यह योजना सारे राज्य में लागू है ।

लघु सिंचाई

फव्वारा सिंचाई प्रणाली को उपलब्ध दुर्लभ जल के उचित प्रयोग के लिये अपनाया गया है । निम्नलिखित दरों पर केन्द्रीय संचालित योजनाओं के अधीन अनुदान प्रदान किया जा रहा है :–

अ) अनुसूचित जाति/जन जाति व महिला किसानों के लिये अधिकतम 15,000 रूपये प्रति सयंत्र ।

ब) अन्य वर्ग के किसानों के लिये अधिकतम 10,000 रूपये प्रति सयंत्र ।

यह योजना सारे राज्य में लागू है । विकलांग कृषक भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

भूमि समतलीकरण

यह एक स्टेट प्लान योजना है जो कि सारे राज्य में क्रियाशील है । इसके अन्तर्गत 3 हैक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को 50 प्रतिशत तथा 3 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले अन्य किसानों को 25 प्रतिशत की दर से भूमि समतलीकरण पर अनुदान है। विकलांग कृषक को भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

फव्वारा सिंचाई प्रणाली– फव्वारा सिंचाई प्रणाली, जल के बचाव के लिये एक वैज्ञानिक तकनीकी उपकरण है । फव्वारा सिंचाई प्रणाली के प्रयोग से बहुमूल्य जल का बचाव होता है । खेती के लिये अधिक क्षेत्र मिलता है । खाद व कीटनाशक का छिड़काव समान रूप से किया जा सकता है ।

जल बहाव के लिये भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली–जहॉ बहाव सिंचाई आवश्यक हो, बाढ़ सिंचाई के प्रचलित प्रणाली की अपेक्षा इस प्रणाली से ज्यादा प्रभावशाली होती है । वाष्पीकरण व परिवहन के द्वारा होने वाले जल का नुकसान कम होकर शून्य हो जाता है । यह प्रणाली एक बार डालने से कई वर्षो तक प्रभावी रहती है ।

1.7 भू–जल विकास योजना

अभियन्त्रित बनावट तथा भू– जल संरचना । जलीय– सर्वेक्षण ।
भू– भैातकीय निरीक्षण । सर्वेक्षण द्वारा पूर्ण निरीक्षण, लघु सिंचाई के ऑकड़ों को एकत्रित करना ।

प्रक्रिया

इन सब योजनाओ का लाभ लेने के लिए उप निदेशक(कृषि),उप निदेशक कृषि कार्यालय, कमरा न.– 604 , छठी मंजिल लघु सचिवालय, कोर्ट, सैक्टर–12 फरीदाबाद से सम्पर्क करना होगा ।

हैल्प लाईन :

किसान कॉल सेन्टर–1800–180–1551
किसान मोबाईल न.–99158–62026
फोन न.–0172–2571553, 2571544
email- agriharyana 2009@gmail.com
psfcagrifhry@gmail.com

बीज–खाद तथा अन्य जानकारियों के लिए किसान कॉल सेन्टर से सम्पर्क करें। वहां से सलाह व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
नोट–जो भी पत्र/जनसूचना अधिकार पत्र लिख रहे है तो उसकी छाया प्रति अपने पास रख लें व जो भी कागज साक्ष्य के तौर पर लगा रहे हैं उनकी भी छाया प्रति ही भेजें, वास्तविक अपने पास रखें तथा पहले पत्र की छाया प्रति अवश्य लगायें। यदि सीधे अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा रहे हैं तो उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य लें।

1.8 पशु पालन एवं डेरिंग विभाग

गाँवों में पशुपालन रोजगार, जीवन यापन का एक प्रमुख तरीका है। पशुपालन विकास तथा उनके स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक गाँव के लिए एक सरकारी पशु चिकित्सक तथा पशु चिकित्सालय का प्रबंध किया गया है। पशु पालन विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है। जिनका लाभ लेने के लिए ग्राम स्तर पर, गाँव में आने वाले अथवा पशु चिकित्सालय में बैठने वाले सरकारी पशु चिकित्सक से सम्पर्क करना होता है। पशु चिकित्सक ही योजनाओं का लाभ लेने में, जानकारी देने–लेने तथा कागजी कार्यवाही करने में ग्रामवासियों की सहायता करते हैं।

यदि किसी कारणवश सरकारी पशु चिकित्सक से सम्पर्क नही हो पाता है या कोई अन्य जानकारी लेनी या सुझाव व शिकायत है तो ब्लॉक स्तर पर निम्नलिखित पते पर सम्पर्क किया जा सकता है:–

एस.डी.ओ.
पशुपालन एवं डेरिंग विभाग,
प्रथम तल, पंचायत भवन,
बल्लभगढ़ , फरीदाबाद
email-sdoblb.ahd@hry.nic.in

यदि ब्लॉक स्तर से भी सही जानकारी नही मिलती है अथवा समस्या का निवारण नही होता है तब जिला स्तर कार्यालय से सम्पर्क करें जिसका पता निम्नलिखित है :

उप निदेशक,
उप निदेशक कार्यालय,
पशु पालन व डेरिंग विभाग,
रेलवे रोड, ओल्ड फरीदाबाद,
फरीदाबाद
फोन न. – 0129–2421558
email-ddfbd.ahd@hry.nic.in

यदि और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है या जिला स्तर कार्यालय से संतुष्ट नही है तब राज्य स्तर कार्यालय से सम्पर्क कर सकतें हैं जिसका पता निम्नलिखित है :

महानिदेशक,
महानिदेशक कार्यालय,
पशुपालन एवं डेरिंग विभाग,
(हरियाणा राज्य सरकार)
पशुधन भवन, बेज़ न. 9–12,
सैक्टर–2, पंचकूला, हरियाणा
फोन न.–0127–2574662
email-dg.ahd@hry.nic.in

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी ब्लॉक स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर कार्यालय से जानकारी प्राप्त कि जा सकती है जिसके लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय का पता तथा 10रूपए का पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट जो जन सूचना अधिकारी के पक्ष में देय हो जन सूचना अधिकार पत्र के साथ लगाना होगा।

पशुपालन एवं डेरिंग विभाग के द्वारा चलाई जा रही मुख्य योजनाएँ व पात्रता निम्नलिखित है :

1.8 अ पशु ऋण

योजना क्या है ?

पशु ऋण– गाय, भैंस, सुअर, भेड़ एवं बकरी के लिए है। यह लोन 3, 5, 10 पशुओं को खरीदने के लिया जा सकता है। इस ऋण को चुकता करने में सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है जो इस प्रकार है :

सुअर–50% अनुदान

भेड़–50% अनुदान

बकरी–50% अनुदान

भैंस–25% अनुदान

गाय–50% अनुदान

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति को कुल राशि का 25% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। ऋण लेने के लिए व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं–पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता तथा एक शपथ पत्र व समझौता पत्र भी इन दस्तावेजो के साथ लगेगा जिसका पूरा प्रफोर्मा सरकारी पशु चिकित्सक के पास उपलब्ध है। पशु वर्ग व संख्या के अनुसार कितना लोन मिलेगा वो इस प्रकार है:–

- सुअर 50000 रुपए
- भेड़–बकरी 100000 रुपए
- भैंस 3 – 1.65/2.25 लाख रुपए (दुग्ध उत्पादन पर निर्भर)
5 – 2.75/3.25 लाख रुपए (दुग्ध उत्पादन पर निर्भर)
10 –5.50/7.50 लाख रुपए (दुग्ध उत्पादन पर निर्भर)
- गाय 3 – 500000 लाख रुपए

1.8 ब पशु बीमा

योजना क्या है ?

गाँव वासियों के पशुओं के मर जाने/बीमारी/महामारी के कारण पशुधन नुकसान की भरपाई के लिए पशु बीमा योजना चलाई जा रही है जिसकी प्रीमियम गाय–भैंस के लिए 100 रुपए प्रति पशु तथा भेड़–बकरी के लिए 25 रूपये प्रति पशु है। ये प्रीमियम राशि केवल सरकारी पशु चिकित्सक के द्वारा बीमा करवाये जाने पर है। इस योजना का विकलांग व्यक्ति भी लाभ उठा सकते हैं।

1.8 स दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन राशि योजना

योजना क्या है ?

दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार के द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही है जिसमें पशुपालक को प्रोत्साहन राशि मिलती है जो कि पशु के दुग्ध उत्पादन पर निर्भर है केवल गाय–भैंस के लिए मान्य है जैसे :

18 किलो ग्राम दूध पर 25000 रूपए

8 किलो ग्राम दूध पर 10000 रूपए

पशु पालन विभाग के द्वारा जो विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है उनका लाभ लेने के लिए गाँव में आने वाले अथवा पशु चिकित्सालय में बैठने वाले सरकारी पशु चिकित्सक से सम्पर्क करना होगा। पशु चिकित्सक ही योजनाओं का लाभ लेने में, जानकारी देने–लेने तथा कागजी कार्यवाही करने में ग्रामवासियों कि सहायता करते है । पशु चिकित्सक ही फॉर्म को आगे भेजते है व बैंक की कार्यवाही मे मदद करते हैं । इस योजना का विकलांग व्यक्ति भी लाभ उठा सकते हैं।

नोटः–किसी भी प्रकार की लिखित कार्यवाही करते समय, पत्र तथा अन्य संलग्न दस्तावेजों की छाया प्रति अपने पास रखे। दस्तावेजों की केवल छाया प्रति ही लगायें। जन सूचना अधिकार पत्र या अन्य किसी भी प्रकार के पत्र के लिए भी यही करना है। यदि सीधे सम्बन्धित कार्यालय में जमा करवाते हैं, तो पत्र की छाया प्रति पर प्राप्ति रसीद ले अथवा विभाग से पक्की रसीद प्राप्त करें। यदि अगला पत्र लिखते हैं, तो पहले पत्र की छाया प्रति अवश्य लगायें व सभी पत्रों व दस्तावेजो की छाया प्रति रखें।

1.9 सरकारी रोजगार

सरकार के विभिन्न विभागो के द्वारा भी समय–समय पर रिक्तियॉ निकाली जाती है तथा उसकी जानकारी व आवेदन विभिन्न माध्यमों के द्वारा दी जाती है जिसमें जाति, लिंग व विकलांगता के आधार पर संवैधानिक नियमो के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाता है । विकलांग व्यक्ति को सभी सरकारी नौकरीयों में योग्यता के अनुसार 3 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध है।

विकलांग व्यक्ति को मिलने वाला आरक्षण विकलांगता के अनुसार है जो इस प्रकार है : शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्ति को 1 प्रतिशत, सुनाई न देने वाली विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए 1 प्रतिशत व दिखाई न देने वाली विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए 1 प्रतिशत ।

1.10 फरीदाबाद औद्योगिक संघ

फरीदाबाद जिले में चल रही अधिकतर औद्योगिक ईकाईयॉ, चाहे वो किसी भी स्तर की हों लघु, ,मध्यम या बडी , को फरीदाबाद औद्योगिक संघ सहायता प्रदान करता है। इसका कार्य सरकार को औद्योगिक ईकाईयों की समस्याओं से अवगत करना,नियमित प्रशासन के सम्पर्क मे रहना, श्रमिको को सुविधायें प्रदान करना है। संघ के द्वारा फरीदाबाद औद्योगिक संघ धर्मार्थ सोसायटी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र तथा कौशल विकास केन्द्र चलाए जा रहे हैं। कौशल विकास केन्द्र में कोई भी 18 वर्ष की आयु व 8 वीं पास व्यक्ति प्रशिक्षण ले सकता है । फरीदाबाद औद्योगिक संघ का पता है ।

फरीदाबाद औद्योगिक संघ,
बाटा चौक, फरीदाबाद,
दूरभाष नम्बरः 0129–2232136,233517
ई–मेल : **fiafbd@dataone.in** , **fiafbd@gmail.com**

कुछ निजी संस्थान भी विकलांग व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार जीविका प्रदान कर रहें हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण नही होता है ।

संदर्भ सूची

रोजगार : श्रम विभाग के उपायुक्त व डबुआ कालोनी, ब्लॉक व जिला स्तर के कृषि तथा पशु पालन एवमं डेरिंग विभाग के कार्यालयो तथा वैबसाइट : www.faridabad.nic.in, www.hrylabour.gov.in, www.hrex.org, www.agriharyana.nic.in in hindi, www.pashudhanharyana.gov.in